न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 37/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आईडीबीआई बैंक लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रीति अग्रवाल
शाखा कार्यालय सी–स्कीम जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र शान्तिलाल अग्रवाल**
2. **निर्मला देवी अग्रवाल पत्नी सत्यनारायण अग्रवाल**

प्रथम पताः–एस.के.स्कूल के पीछे शिव मन्दिर के पास, जगदीश कॉलोनी वार्ड न. 34 सीकर राज. 332001

द्वितीय पताः–फ्लेट नं. जी–2 ग्राउंड फ्लोर उमंग अपार्टमेंट पोलो ग्राउंड के पास हरी राम बहड़ सर्किल के पास रानी सती मन्दिर सीकर राज. 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 17 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र शान्तिलाल अग्रवाल व निर्मला देवी अग्रवाल पत्नी सत्यनारायण अग्रवाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की अचल **सम्पत्ति फ्लेट नं. जी–2 ग्राउंड फ्लोर उमंग अपार्टमेंट पोलो ग्राउंड के पास, हरी राम बहड़ सर्किल के पास रानी सती मन्दिर सीकर राज. 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 783 वर्गफीट**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में फ्लेट नं. जी–1, पश्चिम दिशा में खुला क्षेत्र, उत्तर दिशा में सीढ़ियां और लॉबी व दक्षिण दिशा में खुला क्षेत्र स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर क्रमशः **₹5,45,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख पैंतालिस हजार) एवं ₹19,10,000/– रूपये (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख दस हजार) कुल ₹24,55,000/– रूपये (अक्षरे रूपये चौबीस लाख पचपन हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **31.07.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **31.07.2025** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

शान्तिलाल अग्रवाल व **निर्मला देवी अग्रवाल पत्नी सत्यनारायण अग्रवाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की अचल **सम्पत्ति फ्लेट नं. जी–2 ग्राउंड फ्लोर उमंग अपार्टमेंट पोलो ग्राउंड के पास हरी राम बहड़ सर्किल के पास रानी सती मन्दिर सीकर राज. 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 783 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में फ्लेट नं. जी–1, पश्चिम दिशा में खुला क्षेत्र, उत्तर दिशा में सीढ़ियां और लॉबी व दक्षिण दिशा में खुला क्षेत्र स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **17 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर